

Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules And Order)

FORM 21C
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 165-Bagidora (ST) Assembly constituency.


In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

SHRI MAHENDRA JEET SINGH MALVIYA

Vill. Bhavanpura Po. Ratanpura Teh. Anandpuri District Banswara sponsored by **Indian National Congress** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Banswara

Date : 03-12-2023


(C.L. Sharma)
Returning Officer
165-Bagidora (ST) Assembly Constituency
Rajasthan
165-BAGIDORA
165-Bagidora (ST)
Legislative Assembly Constituency

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिये)

(सधारण निर्वाचन मे उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

165-बागीदोरा (अ.ज.जा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिये निर्वाचन

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 मे अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि - श्री महेन्द्र जीत सिंह मालविया मकान. सं. 90 गांव भवानपूरा पो. उदयपुरा बड़ा त. आनंदपुरी जि. बाँसवाड़ा जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किये गए हैं ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : बाँसवाड़ा

दिनांक : 03.12.2023



(सी.एल.शर्मा)

रिटर्निंग अधिकारी

165-बागीदोरा(अ.ज.जा.) विधानसभा

निर्वाचन क्षेत्र (उपखंड मजिस्ट्रेट) बागीदोरा

(सी.एल. शर्मा)

रिटर्निंग ऑफिसर

165-बागीदोरा(अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
(उपखण्ड मजिस्ट्रेट) बागीदोरा